



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
WPT क्रमांक- 205 वर्ष 2024

- 1- हर्षित सिंघानिया बिल्डकॉन,
कार्यालय तीसरी और चौथी मंजिल,
श्याम चैंबर, हीरापुर रोड, टाटीबंध,
रायपुर, 492001, छत्तीसगढ़
भारत द्वारा साझेदार श्री सुबोध
सिंघानिया उम्र लगभग 54 वर्ष,
आत्मज श्याम लाल सिंघानिया,
निवासी-5 वीं स्कूल रोड,
चौबे कॉलोनी, रायपुर,
जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001

----- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1- भारत संघ द्वारा सचिव राजस्व विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
- 2- प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय) जाबा, भोपाल,
प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय,
जाबा, भोपाल, आयकर महानिदेशक, आयकर भवन,
48, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश, 462011
- 3- सहायक आयकर आयुक्त केंद्रीय वृत्त 2 रायपुर कार्यालय
सहायक आयकर आयुक्त केंद्रीय वृत्त 2, रायपुर केंद्रीय
राजस्व भवन, राय 02, राय 03, रायपुर,
छत्तीसगढ़ 492001
- 4- आयकर आयुक्त (अपील) राष्ट्रीय फेसलेस अपील



//2//

WPT क्रमांक- 205 वर्ष 2024

केंद्र (एनएफएसी), दिल्ली

5- अपर आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) रायपुर,
रायपुर केन्द्रीय राजस्व भवन,
राय 02, राय 03, राय 04 रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001

6- उप आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-2 रायपुर
कार्यालय उप आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-2,
रायपुर, रायपुर केन्द्रीय राजस्व भवन,
राय 02, राय 03, राय 04, रायपुर,
छत्तीसगढ़ 492001

----- प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर

: श्री सिद्धार्थ दुबे, अधिवक्ता

प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से

: श्री ऋषभ देव सिंह, अधिवक्ता

वास्ते श्री रमाकांत मिश्रा, डीएसजी

प्रतिवादी क्रमांक-2 से 6 की

ओर से

: श्री अजय कुमरानी, अधिवक्ता वास्ते

श्री अमित चौधरी, अधिवक्ता

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

01- प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका की अग्रिम प्रति स्वीकार कर ली है और संबंधित पक्षों की सहमति से मामले की सुनवाई कर उसका अंतिम रूप से निपटारा किया गया।



02- वर्तमान याचिका दिनांक 18.10.2024 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 की मांग पर रोक लगाने से संबंधित समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसको कि प्रतिवादी क्रमांक-2 प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) भोपाल के समक्ष दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत किया गया था तथा दिनांक 14.06.2024 के आदेश के विरुद्ध, जिसमें करदाता/याचिकाकर्ता द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 220 की उपधारा (6) के अन्तर्गत करदाता को चूककर्ता न मानने के लिए प्रस्तुत स्थगन आवेदन को निरस्त कर दिया गया, जो कि दिनांक 30.04.2024 को प्रतिवादी क्रमांक-3 सहायक आयकर आयुक्त केन्द्रीय वृत्त 2 रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके द्वारा दिनांक 18.10.2024 एवं 14.06.2024 के आक्षेप आदेशों को रहस्यमय तरीके से तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रस्तुतियों की सराहना किए बिना तथा वित्तीय तंगी एवं सुविधा के संतुलन पर विचार किए बिना तथा सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना खारिज कर दिया गया।

03- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि, प्रतिवादी क्रमांक-3 के समक्ष धारा 220(6) के तहत प्रस्तुत आवेदन तथा प्रतिवादी क्रमांक-2 के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन में याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्टया अपना सुदृढ मामला, सुविधा का संतुलन, वित्तीय कठिनाई, वास्तविक कठिनाई का प्रदर्शन किया था और राजस्व के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी पेश की थी। हालांकि, दोनों अधिकारियों ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की सराहना किए बिना और उक्त आवेदन और समीक्षा आवेदन की सामग्री पर ध्यान दिए बिना और कथनों और



//4//

WPT क्रमांक- 205 वर्ष 2024

प्रस्तुतियों पर कोई विचार किए बिना, स्थगन आवेदन को खारिज करते हुए दिनांक 14.06.2024 को आक्षिप्त आदेश पारित कर दिया है और याचिकाकर्ता को निर्देश क्रमांक 1914 के अनुसार दिनांक 29-02-2016 को मांग का 20% जमा करने का निर्देश दिया है और पुनर्विचार आवेदन को खारिज करते हुए तथा दिनांक 18.10.2024 को यह आक्षिप्त आदेश भी पारित किया है और प्रतिवादी क्रमांक-02 ने याचिकाकर्ता को 5 माह में किशतों के माध्यम से 20% राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

04- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह स्वीकार किया है कि, दिनांक 18.10.2024 और 14.06.2024 के आक्षिप्त आदेश गैर-वाक्यांशिक आदेश हैं, क्योंकि वे उन कारणों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं कि क्यों मूल्यांकनकर्ता/याचिकाकर्ता का पुनर्विलोकन आवेदन और स्थगन आवेदन योग्यताहीन है और कैसे मूल्यांकन वर्ष 2022-23 के लिए मूल्यांकनकर्ता/याचिकाकर्ता का मामला 29.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित स्थगन के मापदंडों के दायरे में नहीं आता है, जिसको कि दिनांक 31.07.2017 को कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधित किया गया है। आक्षिप्त आदेश मूल्यांकन वर्ष 2022-23 की मांग पर स्थगन से संबंधित समीक्षा आवेदन और मूल्यांकन वर्ष 2022-23 से संबंधित स्थगन आवेदन का निपटारा करते समय मूल्यांकनकर्ता/याचिकाकर्ता के मामले को संक्षेप में भी प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिसके संबंध में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय का फैसला, जो **केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम बीआर बालकृष्णन और अन्य 2001 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 1229** द्वारा प्रतिवेदित है, जो निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है, जिसको कि प्राधिकारियों द्वारा उन मामलों में पालन किया जाना आवश्यक



है, जहां किसी करदाता द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

05- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह बताया कि, वर्तमान मामले में समीक्षा आवेदन और स्थगन आवेदन को प्रस्तुतियों पर विचार किए बिना अस्वीकार करना और कम-से-कम संक्षिप्त कारणों का उल्लेख करना यूटीआई म्यूचुअल फंड बनाम आयकर अधिकारी 13(3)(2) और अन्य 2012 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 390 द्वारा प्रतिवेदित में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अस्वीकार्य है।

06. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि, यह स्थापित कानून है कि माननीय कर निर्धारण अधिकारी और उनके उच्च अधिकारी को विवादित आदेशों पर निर्णय देते समय त्रिमूर्ति सिद्धांत अर्थात् प्रथम दृष्टया मामला, वित्तीय तंगी और सुविधा का संतुलन लागू करना आवश्यक है। यह केवल उपर्युक्त तीन सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत आवेदन पर ही, कर निर्धारण कार्यालय या उच्च अधिकारी विवादित मांग पर रोक लगाने के अनुरोध को पूर्णतः या आंशिक रूप से मंजूर या खारिज करने के लिए विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में प्रतिवादी क्रमांक-2 और 3 ने त्रिमूर्ति सिद्धांत को ध्यान में रखे बिना और सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही अवैध और रहस्यमय तरीके से अस्वीकृति आदेश पारित कर दिए। इस प्रकार दिनांक 14.06.2024 और 18.10.2024 के विवादित आदेश अवैध हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए पारित किए गए हैं।



- 07- दूसरी तरफ, प्रतिवादी क्रमांक-1 और प्रतिवादी क्रमांक-2 से 6 के विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध करते हुए, आक्षेप आदेशों का समर्थन किये हैं।
08. मेरे द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। आक्षेप आदेशों का अवलोकन किया गया और अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी पूर्वक से अध्ययन किया गया।
09. अभिलेखों के अवलोकन से, यह तथ्य सामने आया है कि, प्रतिवादी प्राधिकारियों ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 31.03.2024 को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 156 के अंतर्गत जारी मांग नोटिस की प्रति के साथ याचिकाकर्ता के विरुद्ध मूल्यांकन आदेश पारित किया है। इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220(6) के अंतर्गत दिनांक 29.04.2024 को प्रतिवादी क्रमांक-3 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवादी क्रमांक-3 ने मामले का निराकरण, प्रथम दृष्टया मामले, सुविधा का संतुलन, याचिकाकर्ता को हुई अपूरणीय क्षति, वास्तविक कठिनाई, सीबीडीटी निर्देश और अतिरंजित मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया है। प्रतिवादी क्रमांक-3 द्वारा बिना किसी तर्क और स्पष्ट आदेश के आवेदन दिनांक 14.06.2024 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात, इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी क्रमांक-2 पीसीआईटी (केन्द्रीय) भोपाल के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवादी क्रमांक-2 ने भी पुनरीक्षण आवेदन को गुण-दोष के आधार पर इसका निराकरण नहीं किया और दिनांक 18.10.2024 को 5 माह में किश्तों में कर देयकों का 20% भुगतान



करने का आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार, दिनांक 14.06.2024 एवं 18.10.2024 को पारित आक्षेप आदेश स्पष्ट आदेश नहीं हैं।

10. इस न्यायालय ने, मेसर्स आरती स्पोंज एण्ड पावर लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त एवं अन्य के मामले में दिनांक 10.04.2018 को निर्णय देते हुए समनुदेशिती अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन करने के संकेत दिये, जो कि इस प्रकार है:-

“18. मेरी राय में, उक्त प्रश्न अब पुनर्संयोजित नहीं है और इसे केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम बी.आर. बालकृष्णन और अन्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से सुलझाया गया है, जिसमें एस.एच. कपाडिया, J, (तत्कालीन न्यायाधीश) जो उस समय बॉम्बे उच्च न्यायालय की ओर से बोल रहे थे, ने इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं:-

“यह बिना कोई कारण बताए आदेश पारित किए जाने का परिणाम है। इसलिए, हम कुछ पैरामीटर निर्धारित करना चाहते हैं, जिनका पालन अधिकारियों द्वारा उन मामलों में किया जाना आवश्यक है, जहां किसी करदाता द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

पैरामीटर :

(क) स्थगन आवेदन पर विचार करते समय, संबंधित प्राधिकरण कम-से-कम करदाता के मामले का निर्धारण करेगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहां आक्षेप आदेश के तहत निर्धारित आय, लौटाई गई आय से कहीं अधिक है, तब प्राधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि, क्या करदाता ने बिना शर्त स्थगन का मामला बनाया है। यदि नहीं, तो अपील में शामिल प्रश्नों को देखते हुए, राशि का एक हिस्सा जमा करने का आदेश प्रयोजन सहित दिया जाना चाहिए, जिसके लिए



प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश में कुछ संक्षिप्त प्रथम दृष्टया कारण दिए जा सकते हैं।

(ग) ऐसे मामलों में जहां करदाता वित्तीय कठिनाइयों पर निर्भर रहता है, वहां संबंधित प्राधिकारी संक्षेप में संकेत दे सकता है कि क्या करदाता वित्तीय रूप से सक्षम है और प्राधिकारी के चाहने पर करदाता ऐसा राशि जमा करने में सक्षम है।

(घ) संबंधित प्राधिकारी, यह भी जांच करेगा कि अपील करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। आम तौर पर, अपील में जाने के लिए कानून द्वारा प्रदान की गई अवधि के दौरान बलपूर्वक उपाय नहीं अपनाए जा सकते हैं। हालांकि, यदि संबंधित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि, करदाता के द्वारा की गई मांग को नकारने की संभावना है, तो वह बलपूर्वक कार्रवाई का सहारा ले सकता है, जिसके लिए आदेश में संक्षिप्त कारण का कारण उल्लेख कर सकते हैं।

(ई) हम स्पष्ट करते हैं कि, यदि संबंधित प्राधिकारी स्थगन आवेदन पर आदेश पारित करते समय, उपरोक्त मापदंडों का अनुपालन करता है, तो विभाग के प्रशासनिक पक्ष के प्राधिकारियों जैसे कि प्रतिवादी क्रमांक-2 को एक बार फिर से तर्कपूर्ण आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

11. उपरोक्त दिशा-निर्देशों का बाद में **बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा यूटीआई म्यूचुअल फंड बनाम आयकर अधिकारी 19(3)(2) और अन्य** के मामले में पालन किया गया, जिसमें डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जे (तत्कालीन न्यायाधीश) ने **केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड (सुप्रा)** में दिए गए फैसले का पालन करते हुए फिर से कुछ और दिशा-निर्देश दिए हैं: -

“हम सम्मान के साथ कह सकते हैं कि, ये जो बुद्धिमानी भरी टिप्पणियाँ हैं, उन्हें मूल्यांकन अधिकारियों को अक्सर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि **केईसी इंटरनेशनल** में डिवीजन बेंच द्वारा जो मापदण्ड निर्धारित किया है तथा **कोको कोला** वाले फैसले में की गई टिप्पणियों के



तहत, हम निर्देश देते हैं कि, वसूली को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

1. कर की कोई वसूली लंबित नहीं की जानी चाहिए:

(क) अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा का समाप्त हो जाना;

(ख) करदाता द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा करना तथा उसके पश्चात उचित अवधि के लिए करदाता को **उच्च फोरम** में जाने के लिए सक्षम बनाना, यदि ऐसा करने की सलाह दी गई हो तथापि बलपूर्वक कदम उठाए जा सकते हैं, जहां प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण हैं कि करदाता मांग को नकार सकता है, जिसमें मामले के संक्षिप्त कारणों का उल्लेख किया जा सकता है।

2. करदाता द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा करदाता को सुनने के पश्चात, **केईसी इंटरनेशनल** में दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

3. यदि कर निर्धारण अधिकारी ने तथ्यों या कानून में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए बिना पिछले वर्षों में अपनाए गए निर्णय के विपरीत कोई दृष्टिकोण अपनाया है, तो वह स्थगन के लिए प्रस्तुत आवेदन के निराकरण के लिए एक प्रासंगिक विचार है;

4. राशि निकालने से पहले जब बैंक खाता कुर्क कर दिया गया हो, तो करदाता को उचित रूप से पूर्व सूचना दी जानी चाहिए, ताकि करदाता अपना पक्ष रख सके या कानून के उपाय का सहारा ले सके;

5. स्थगन की शक्तियों का प्रयोग करते समय, आयकर अधिकारी को केवल कर संग्रहकर्ता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के तौर पर राजस्व के हितों की रक्षा करते हुए तथा सावर्जनिक कर्तव्य निभाते हुए, करदाता की कठिनाई को कम करने की आवश्यकता को संतुलित करते हुए कार्य करना चाहिए। यद्यपि **ए ओ** ने मूल्यांकन किया है, फिर भी, स्थगन के लिए प्रस्तुत आवेदन पर उसे निष्पक्ष रूप से उसका निराकरण करना चाहिए, यह





देखते हुए कि उसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है: ऐसे मामले के सभी पहलुओं पर, जिसमें करदाता के हितों को राजस्व की सुरक्षा के साथ संतुलित रखते हुए विचार किया जाना चाहिए।

12. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि समनुदेशिती अधिकारी ने याचिकाकर्ता के स्थगन आवेदन और पुनर्विलोकन आवेदन का निराकरण करने में सही प्रक्रिया नहीं अपनाई है और केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड (सुप्रा) और यूटीआई म्यूचुअल फंड (सुप्रा) में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए दिशा-निर्देशों का पालन भी नहीं किया है और साथ ही मेसर्स आरती स्पोंज एंड पावर लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी पालन नहीं किया है।
13. उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, आक्षिप्त आदेश दिनांक 14.06.2024 तथा 18.10.2024 को अपास्त किया जाता है और मामले को प्रतिवादी क्रमांक-2 को स्थगन आवेदन पर नये सिरे से बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए दिशानिर्देशों एवं इस न्यायालय द्वारा मेसर्स आरती स्पोंज एवं पावर लिमिटेड (सुप्रा) के पालनार्थ में विचार कर उभयपक्षों को सुनने के बाद, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर एक तर्क संगत और स्पष्ट आदेश पारित करने के लिए भेजा जाता है।
14. साथ ही, स्थगन आवेदन के निराकरण तक, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जावेगा। इस दौरान, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी क्रमांक-02 के समक्ष दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।
15. उपर्युक्त टिप्पणियों सहित इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।
16. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

एसडी/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

